JEEViKA
Rural Development Department, Government of Bihar
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlps.in

पत्रांक : BRLPS/PROJ-F1/497/14/VOL-VI/810 Date: 05.07.2021

कार्यालय–आदेश

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूहों एवं उनके उच्चतर संगठनों के माध्यम से जीविकोपार्जन संर्वधन हेतु कार्य किये जा रहे हैं। ये कार्य राज्य स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे हैं। जीविका द्वारा संचालित गतिविधियों का कियान्वयन बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (BTDP-Bihar Transformative Development Project), नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट (NRETP-National Rural Economic Transformation Project) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM-National Rural Livelihoods Mission) के अंतर्गत किये जा रहे हैं। वर्णित परियोजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 300, 89 एवं 145 प्रखंडों में कार्य किया जा रहा है। जीविका द्वारा वृहद पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों का गठन कर सदस्यों की क्षमतावर्धन हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। साथ ही सामुदायिक संगठन के स्तर पर जीविकोपार्जन संबंधित संसाधनों को बढ़ाने हेतु **सामुदायिक निवेश निधि (CIF-Community Investment Fund)** के निवेश की परिकल्पना की गयी है ताकि सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ़ की जा सके। आजीविका संवर्धन की गतिविधियों को बढ़ाने हेतु **सामुदायिक संगठनों को प्रशिक्षित कर बैंकों के माध्यम से भी निवेश लाने हेतु प्रेरित किया जाता है** ताकि सामुदायिक संगठनों को स्वाबलंबी बनाने की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

जीविका परियोजना के द्वारा सामुदायिक निवेश निधि का उपयोग **सामुदायिक संगठन के स्तर पर निर्णय क्षमता बढ़ाने** एवं **उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग** को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है। इस निधि के संचालन से सामुदायिक स्तर पर आत्म विश्वास की बढ़ोत्तरी होती है क्योंकि संसाधनों पर निर्णय का अधिकार उनका होता है। पिछले कुछ वर्षों में इस निधि का उपयोग कर गरीब परिवार के सदस्यों ने महाजनों का अत्यधिक ब्याज दर पर लिया गया ऋण चुकाया, अपनी गिरवी रखी जमीन वापस ली, जीविका के संसाधनों को बढ़ाया, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सुलझाया, खाद्य सुरक्षा बढ़ाया तथा परिवार की खुशहाली के लिए अन्य कई कार्य किये।

विगत कुछ वर्षों के अनुभव, वर्णित परियोजनाओं के मापदंड एवं जीविका द्वारा कियान्वयित विभिन्न परियोजनाओं में एकरूपता की जरूरत को महसूस करते हुए सामुदायिक निवेश निधि को संचालन करने के प्रावधानों में बदलाव किये गये हैं। **ये प्रावधान 01 जुलाई 2021 से मान्य होंगे।**

परिवर्तित प्रावधानों का सार निम्नलिखित सारणी में वर्णित है:–

कम संख्या	सामुदायिक निवेश निधि का स्वरुप	आवश्यक मापदंड पूरी होने पर दी जाने वाली राशि	सामुदायिक स्तर जिनको यह राशि निर्गत की जा सकती है	संबंधित बजट शीर्ष जिसमें निर्गत राशि का समायोजन होगा
1	परिक्रमी निधि **(Revolving Fund)**	0–15,000 रु0	स्वयं सहायता समूह	1. BTDP/NRLM क्षेत्र के अंतर्गत दी जाने वाली राशि का समायोजन संबंधित परियोजना (BTDP/NRLM) के अंतर्गत होगा। 2. NRETP क्षेत्र के अंतर्गत दी जाने वाली राशि का समायोजन NRLM के बजट शीर्ष के अंतर्गत होगा।
2	आरंभिक पूंजीकरण निधि –प्रथम किश्त **(Initial Capitalization Fund-1st Installment)**	0–9,00,000 रु0	ग्राम संगठन	1. BTDP के क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि में **7,80,000 रु0** का समायोजन **NRLM** के बजट शीर्ष के अंतर्गत होगा तथा **1,20,000 रु0** की राशि का समायोजन **BTDP के बजट** शीर्ष के अंतर्गत होगा। 2. NRLM के क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि का समस्त समायोजन NRLM के बजट शीर्ष के अंतर्गत होगा। 3. NRETP के क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि का समस्त समायोजन NRLM के अंतर्गत होगा। 4. संबंधित वर्णित राशि का निर्धारण "**अनुलग्नक–I**" के पारा '**ख**' में वर्णित प्रक्रिया के तहत होगा।
3	आरंभिक पूंजीकरण निधि –द्वितीय किश्त **(Initial Capitalization Fund-2nd Installment)**	0–50,000 रु0	ग्राम संगठन	1. BTDP क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि का समायोजन BTDP के अंतर्गत होगा। 2. NRETP अथवा NRLM के क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि का समायोजन NRLM के अंतर्गत होगा।
4	आरंभिक पूंजीकरण निधि	0–10,00,000 रु0	संकुल स्तरीय संगठन	1. BTDP क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि का समायोजन BTDP के अंतर्गत होगा। 2. NRETP अथवा NRLM के क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि का समायोजन NRLM के अंतर्गत होगा।

इस कार्यालय आदेश के उपरांत दी जाने वाली सामुदायिक निवेश निधि के वर्णित स्वरूपों की अधिकतम सीमा उपर्युक्त वर्णित सारणी के अनुरूप होगी। उपर्युक्त वर्णित राशि की अधिकतम सीमा में **NRETP के अंतर्गत दी जानेवाली CAP Fund (Covid Assistance Package Fund) की राशि समाहित नहीं है। NRETP क्षेत्र में CAP Fund (Covid Assistance Package Fund) की राशि निर्गत** करने की समय

सीमा बढ़ाकर **30 सितम्बर 2021** तक निर्धारित की गयी है। हलांकि **15 अगस्त 2021** तक सभी समूहों को यह **CAP Fund** की राशि हस्तानांतरित करना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त लिये गये नीतिगत निर्णय को बेहतर ढंग से परियोजना के कर्मियों एवं समुदाय स्तर पर साधन सेवियों को समझाने हेतु विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न है, जो इस कार्यालय आदेश का हिस्सा है। **इस कार्यालय आदेश की प्रति (अनुलग्नक सहित) समस्त परियोजना कर्मियों को प्रखंड स्तर पर उपलब्ध करवायी जाए। इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रुप से प्रखंड एवं जिला परियोजना प्रबंधक पर होगी।**

यह निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक अपने कार्य क्षेत्र में इस निर्णय के अनुसार कार्य सुनिश्चित करवायें।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

बालामुरूगन डी0
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका

प्रतिलिपि :

1- **समस्त जीविका परियोजनाकर्मी**

"अनुलग्नक–I"

सामुदायिक निवेश निधि से संबंधित कार्यालय आदेश का अनुलग्नक

जीविका परियोजना के द्वारा सामुदायिक संगठनों की क्रियाशीलता बढ़ाने हेतु विभिन्न तरीकों से क्षमतावर्धन किया गया है। सामुदायिक संगठन के स्तर पर क्षमतावर्धन की प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करने हेतु विभिन्न माध्यमों से वित्तीय निवेश सुनिश्चित करवाये गये हैं। एक ओर जहाँ बैंक के माध्यम से वित्तीय सम्पोषण को दिशा दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर परियोजना स्तर पर एक निधि के स्वरुप की परिकल्पना की गयी है। **इस निधि को सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund - CIF) के नाम से जाना जाता है।** सामुदायिक निवेश निधि एक ऐसी राशि है जो परियोजना द्वारा समूह के सदस्यों के विकास हेतु उनके द्वारा गठित सामुदायिक संगठनों को दी जाती है। ये संगठन सामूहिक रुप से अपनी जरुरतों का आकलन करते हैं तथा जरुरतमंद सदस्यों को इस निधि के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लेते हैं। सामुदायिक संगठनों के स्तर पर किये गये क्षमतावर्धन एवं वित्तीय निवेश का असर उनके द्वारा लिये गये निर्णय की प्रक्रिया में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। सामुदायिक संगठन अपने पास उपलब्ध संसाधनों के सही उपयोग को लेकर अत्यधिक सतर्क दिखाई देते हैं एवं इससे उनकी कार्य क्षमता और पारदर्शिता काफी विकसित होती है।

परियोजना द्वारा सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल संगठन) के स्तर पर सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अलग–अलग स्वरुपों में निवेश किया गया है। जीविका के अनुभव एवं इसके द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक निवेश निधि के विभिन्न स्वरुपों में कुछ बदलाव की जरुरत महसूस की गयी है। सामुदायिक निवेश निधि के विभिन्न स्वरुपों एवं प्रस्तावित बदलाव की रुपरेखा को निम्नलिखित रुप में भविष्य में क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट किये जाते हैः

क) परिक्रमी निधि (Revolving Fund-RF) :

इस निधि का मुख्य मकसद समूह की गरीब सदस्यों की जरुरतों के लिए पूंजी की उपलब्धता सहज रुप से सामुदायिक संगठनों के माध्यम से सुनिश्चित करना है। इस निधि का उपयोग सदस्य अपने किसी भी जरूरत की पूर्ति हेतु कर सकते हैं। यह जरूरी है कि सदस्यों के द्वारा स्वयं सहायता समूह का संचालन अच्छे ढंग से हो रहा हो। **वर्त्तमान में परिक्रमी निधि (Revolving Fund) की अधिकतम सीमा 15,000 रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) तय की गयी है।**

परिक्रमी निधि (Revolving Fund-RF) देने हेतु स्वयं सहायता समूह स्तर पर मापदण्ड निम्नलिखित हैं:

1. स्वयं सहायता समूह कम से कम दो माह पुराना होना चाहिए। इस दौरान समूह की नियमित कम से कम 8 बैठकें पूरी होनी चाहिए। **समूह का बचत खाता बैंक में खुला होना चाहिए।**
2. समूह को पंचसूत्रा का पालन करने वाला होना चाहिए। इसका मतलब है कि समूह द्वारा नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित लेन–देन, नियमित वापसी और नियमित लेखा संधारण किया जाता है।
3. एक अति महत्वपूर्ण मापदंड है SHG Profile का MIS में संधारण यानी Entry। **इस मापदंड को पूरा किये बिना किसी भी समूह को परिक्रमी निधि उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है।** इस मापदंड को विशेष तरजीह देने की जरूरत है।
4. समूह का प्रशिक्षण परियोजना द्वारा तय माड्यूल पर हो गया हो। ये माड्यूल हैं :

   क) गरीबी के कारण तथा समूह की आवश्यकता।

   ख) बैठक की प्रक्रिया, नियमावली एवं तरीकों से संबंधित चीजें।

   ग) नेतृत्व, वित्तीय अनुशासन एवं मतभेद समाधान जैसे मुद्दों पर परिचर्चा।

5. जीविका मित्र (Community Mobilizer) का चयन हो जाना चाहिए। जीविका मित्र का Books of Accounts पर प्रशिक्षण पूर्ण होनी चाहिए एवं उसे समूह का नियमित लेखांकन करते रहना चाहिए। जीविका मित्र का लेन–देन प्रपत्र पर प्रशिक्षण अनिवार्य है।
6. खाता बही का लेखांकन सही–सही होना चाहिए। कार्यवाही पुस्तिका एवं लेन–देन प्रपत्र तो जरुर ही लिखा होना चाहिए। खाता बही का लेखांकन जीविका मित्र या सामुदायिक समन्वयक के द्वारा अवश्य ही लिखा होना चाहिए।
7. नियमित बैठक में सदस्यों की उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत होनी चाहिए। इसकी गणना जरूर करें और उसका आधार साक्ष्य के रूप में रहना चाहिए।
8. बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कम–से–कम 80 प्रतिशत सदस्य नियमित बचत कर रहे हों।
9. समूह के आन्तरिक लेन–देन की शुरूआत अवश्य होनी चाहिए। समूह में ली गयी रकम की ससमय वापसी का ध्यान भी जरूर रखें। समूह की वापसी दर कम–से–कम 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

ख) <u>आरंभिक पूंजीकरण निधि– प्रथम एवं द्वितीय किश्त (ICF-Initial Capitalization Fund-1st & 2nd Installment) :</u>

उच्चतर सामुदायिक संगठनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं निर्णय क्षमता बढ़ाने हेतु यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि **आरंभिक पूंजीकरण निधि की राशि ग्राम संगठनों के माध्यम से ही समूहों को दी जाएगी।** इससे ग्राम संगठन की कियाशीलता बढ़ेगी तथा ग्राम संगठनों को विभिन्न सामाजिक एवं वित्तीय मुद्दों पर निर्णय लेने में सहुलियत होगी। **वर्तमान में आरंभिक पूंजीकरण निधि के प्रथम एवं द्वितीय किश्त के तौर पर अधिकतम राशि सीमा क्मशः 9,00,000 रूपये (नौ लाख रूपये) एवं 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) निर्धारित की गयी है।** यह स्पष्ट करना उचित होगा कि अधिकतम सीमा राशि का निर्णय करते समय यह माना गया है कि ग्राम संगठन में 12 समूह होते हैं। सभी 12 समूहों हेतु 75,000 रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) की दर से अधिकतम सीमा 9,00,000 रूपये (नौ लाख रूपये) निर्धारित की गयी है। **किसी ग्राम संगठन में अगर 12 से अधिक समूह हैं और मापदंडों को भी पूरा करते हैं तो भी वे अधिकतम 9,00,000 रूपये (नौ लाख रूपये) पाने के ही हकदार हैं।** अगर किसी ग्राम संगठन में **10 समूह हैं तो वे 75,000 रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) प्रति समूह की दर से अधिकतम 7,50,000 (सात लाख पचास हजार रूपये) का आवेदन करेंगें। भविष्य में अगर और 2 समूह बनते हैं तो वे फिर 1,50,000 (एक लाख पचास हजार रूपये) तक** की आरंभिक पूंजीकरण निधि पाने की योग्यता रखते हैं।

सारांश यह है कि समूह स्तर हेतु अधिकतम 75,000 रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) की राशि निर्धारित की गयी है एवं ग्राम संगठन स्तर पर अधिकतम 12 समूहों के लिए 9,00,000 रूपये (नौ लाख रूपये) की अधिकतम राशि का निर्धारण किया गया है। **अगर ग्राम संगठन में 12 से अधिक समूह हैं तो भी ग्राम संगठन को निर्धारित राशि के तहत ही आरंभिक पूंजीकरण निधि की प्रथम किश्त की राशि उपलब्ध करवायी जाएगी। ग्राम संगठन से यह अपेक्षित है कि उपलब्ध राशि को बेहतर ढंग से rotate करें एवं वापसी की रकम प्राथमिकता के आधार पर अन्य समूहों को उपलब्ध करवायें।**

सामुदायिक संगठनों को आरंभिक पूंजीकरण निधि (प्रथम एवं द्वितीय किश्त) उपलब्ध करवाने हेतु जिन मापदंडों को संधारण करवाना सुनिश्चित करना होगा, उनकी विवरणी संक्षिप्त में प्रेषित है–

(i) **परियोजना द्वारा आरंभिक पूंजीकरण निधि– प्रथम किश्त (ICF-Initial Capitalization Fund-1st Installment) देने हेतु ग्राम संगठन स्तर पर मापदंड निम्नलिखित हैं :–**

1. ग्राम संगठन कम से कम 2 माह पुराना होना चाहिए। इस दौरान संगठन की कम से कम 2 बैठकें पूरी होनी चाहिए। **यह अतिमहत्वपूर्ण है कि ग्राम संगठन का profile MIS में दर्ज कर लिया गया हो।** इस मापदंड की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
2. ग्राम संगठन का **बचत खाता बैंक में खुला होना** चाहिए।

3. ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति का गठन हो चुका हो। इसके साथ ही संगठन को नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रतिनिधियों का चयन हो गया हो। साथ ही सदस्यों एवं प्रतिनिधियों को **प्राप्त निधि के संचालन एवं प्रबंधन पर प्रशिक्षण उपलब्ध** करवाया जाना सुनिश्चित किया गया हो।

4. ग्राम संगठन की निर्धारित उप समितियों का गठन हो गया हो। ग्राम संगठन के अंतर्गत गठित उप समितियॉ हैः सामाजिक ऑडिट (अंकेक्षण) समिति, बैंक लिंकेज समिति, ऋण वापसी समिति, सोशल एक्शन (सामाजिक कार्य) समिति, खाद्य सुरक्षा समिति इत्यादि।

5. ग्राम संगठन के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण परियोजना द्वारा तय माड्यूल पर हो गया हो। ये माड्यूल हैंः

   (क) ग्राम संगठन की अवधारणा, महत्व एवं नियमावली ।

   (ख) बैठक की प्रक्रिया, एजेंडा एवं लेखा का महत्व ।

   (ग) उप समितियों का गठन एवं उनकी भूमिका।

6. ग्राम संगठन के लेखा संधारण हेतु बुक कीपर (Bookkeeper) का चयन हो गया हो। चयन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संबंधित बुक कीपर का ग्राम संगठन की लेखा संधारण हेतु प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका हो। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि ग्राम संगठन से संबंधित लेखा संधारण हेतु Books of Records की उपलब्धता अनिवार्य है।

7. ग्राम संगठन स्तर पर लेखा संधारण हेतु बुक कीपर या संबंधित सामुदायिक संगठक का प्रशिक्षण पूर्णतः अनिवार्य है। यह अतिमहत्वपूर्ण मापदंड है और इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

8. खाता–बही का लेखांकन सही–सही तरीके से होना चाहिए। **कम से कम प्राप्ति एवं भुगतान विपत्र के साथ–साथ कैश बुक का लिखा जाना अनिवार्य है। कालांतर में समस्त लेखा–पुस्तिकाओं का संधारण अनिवार्य है।**

9. ग्राम संगठन पंचसूत्रा का पालन करने वाला होना चाहिए।

10. ग्राम संगठन स्तर पर उपस्थिति कम से कम 80% हो।

उपर्युक्त वर्णित रुपरेखा के अंतर्गत ही भविष्य में आरंभिक पूंजीकरण निधि की प्रथम किश्त (ICF-1st Installment) का निवेश सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक संगठनों (ग्राम संगठनों) के माध्यम से किया जाएगा।

ग्राम संगठन के माध्यम से आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) को स्वयं सहायता समूहों तक पहुँचाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान संदर्भ को बेहतर ढंग से समझाने हेतु कुछ उदाहरण निम्नलिखित रुप में प्रेषित किये जा रहे हैः–

(क) **संदर्भ 1:** ***ग्राम संगठन का निर्माण नया है एवं किसी भी समूह को आरंभिक पूंजीकरण निधि की राशि नहीं मिली है :***

ऐसी परिस्थिति में **संबद्ध समूहों की कियाशीलता एवं पंचसूत्रा के अच्छे ढंग से पालन करने के आधार** पर आरंभिक पूंजीकरण निधि की राशि हेतु आवेदन दिया जा सकता है। ग्राम संगठन के द्वारा प्रति समूह 75,000 रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) की दर से अधिकतम 12 समूहों के लिए 9,00,000 रूपये (नौ लाख रूपये) की राशि हेतु आवेदन दी जा सकती है।

मान लें कि संबंधित **ग्राम संगठन में 12 समूहों का जुड़ाव हो गया है** तथा वर्तमान में **5 समूहों द्वारा पंचसूत्र का बेहतर ढ़ंग से पालन किया जा रहा है।** ऐसी परिस्थिति में ग्राम संगठन प्रति समूह 75,000 रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) की दर से 3,75,000 (तीन लाख पचहत्तर हजार रूपये) तक की राशि हेतु आवेदन दे सकती है। **समय के अनुसार भविष्य में बाकी 7 समूहों के भी पंचसूत्रा के अच्छे ढ़ंग से पालन करने के उपरांत** प्रति समूह 75,000 रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) की दर से अधिकतम **5,25,000 रूपये (पॉच लाख पच्चीस हजार रूपये)** तक की राशि हेतु आवेदन दे सकती है। प्रखंड परियोजना इकाई एवं जिला क्रियान्वयन इकाई के द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान संदर्भ में **01 जुलाई 2021 के उपरांत किसी भी ग्राम संगठन को 9,00,000 रूपये (नौ लाख रूपये) से ज्यादा की राशि निर्गत न की गयी हो।**

(ख) **संदर्भ 2:** ***ग्राम संगठन नया है एवं इससे 10 समूह वर्तमान में जुड़े हुए है। 2 समूहों को पहले ही 30,000 रूपये (तीस हजार रूपये) की दर से 60,000 रूपये (साठ हजार रूपये) की आरंभिक पूंजीकरण निधि परियोजना द्वारा दी जा चुकी हैः***

ऐसी परिस्थिति में **समूहों की गुणवत्ता (पंचसूत्रा के नियमों का अच्छे ढ़ंग से पालन करने)** के आधार पर **शेष 8 समूहों** एवं **पूर्व की 2 समूहों** हेतु 75,000 रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) की दर से **अधिकतम 7,50,000 रूपये (सात लाख पचास हजार रूपये) की राशि** परियोजना द्वारा निर्गत की जा सकती है। **वर्त्तमान संदर्भ में पूर्व की दो समूहों हेतु 45,000 रूपये प्रति समूह की दर से अतिरिक्त 90,000 (नब्बे हजार रूपये) की राशि दी जाएगी** एवं शेष **8 समूहों को 75,000** रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) प्रति समूह की दर से 6,00,000 रूपये (छह लाख रूपये) की राशि निर्गत की जा सकती है। कुल मिलाकर 6,90,000 रूपये (छह लाख नब्बे हजार रूपये) की राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि (Initial Capitalization Fund) के रूप में उपलब्ध करवायी जा

सकती है। यह इसलिए उपयुक्त है क्योंकि ग्राम संगठन के अंतर्गत सिर्फ 10 समूह हैं और वे उपर्युक्त गणना एवं मापदंड के अनुसार 10 समूहों हेतु अधिकतम 7,50,000 रूपये (सात लाख पचास रूपये) तक की ही राशि **आरंभिक पूंजीकरण निधि–प्रथम किश्त** के रूप में पाने के हकदार हैं।

(ग) **संदर्भ 3: *ग्राम संगठन पुराना है एवं इससे 14 समूह जुड़े हुए है। 6 समूहों को पहले ही 60,000 रूपये (साठ हजार रूपये) की दर से* 3,60,000 रूपये (तीन लाख साठ हजार रूपये) *आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में मिल चुकी है तथा सभी समूह पंचसूत्रा का पालन करते है:***

इस संदर्भ में **गौर करने हेतु बात** यह है कि संबंधित ग्राम संगठन के तहत **3,60,000 रूपये (तीन लाख साठ हजार रूपये)** की राशि 6 समूहों के **माध्यम से उपलब्ध करवायी जा चुकी है।** ऐसी परिस्थिति में ग्राम संगठन के माध्यम से अधिकतम 5,40,000 रूपये (पॉच लाख चालीस हजार रूपये) की राशि और उपलब्ध करवायी जाएगी ताकि ग्राम संगठन में अधिकतम 9,00,000 रूपये (नौ लाख रूपये) आरंभिक पूंजीकरण निधि (Initial Capitalization Fund) के रूप में उपलब्ध हो।

(घ) **संदर्भ 4: *ग्राम संगठन नया है एवं इसके तहत 14 समूहों का किया–कलाप संचालित होता है। मान लें कि अभी किसी समूह को आरंभिक पूंजीकरण निधि की राशि उपलब्ध नहीं करवायी गयी है:***

ऐसी परिस्थिति में समयानुसार **12 समूहों को अधिकतम 9,00,000 रूपये (नौ लाख रूपये)** आरंभिक पूंजीकरण निधि (Initial Capitalization Fund) के तहत उपलब्ध करवायी जा सकती है। **शेष 2 समूहों को ग्राम संगठन के द्वारा आरंभिक पूंजीकरण निधि (Initial Capitalization Fund) की राशि को rotation हेतु प्रोत्साहित करते हुए वापस की गयी राशि से उपलब्ध करवायी जाएगी। ग्राम संगठन के अंतर्गत संचालित सभी समूह अच्छे हैं और पंचसूत्रा का पालन कर रहे हैं तो ग्राम संगठन उपलब्ध राशि में से ही सभी समूहों को आरंभिक पूंजीकरण निधि उपलब्ध करवा सकती है।**

(ङ.) **संदर्भ 5:** ***ग्राम संगठन पुराना है एवं इससे 15 समूह जुड़े हुए हैं। 3 समूह को पहले ही 60,000 रूपये (साठ हजार रूपये) की दर से 1,80,000 रूपये (एक लाख अस्सी हजार रूपये) की राशि परियोजना द्वारा दी गई है। इसके अलावा 2 समूह को 30,000 रूपये (तीस हजार रूपये) की दर से 60,000 रूपये (साठ हजार रूपये) की राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में उपलब्ध करवायी गयी है:***

ऐसी परिस्थिति में अभी तक कुल 2,40,000 रूपये (दो लाख चालीस हजार रूपये) की राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि (Initial Capitalization Fund) के रुप में निवेश की जा चुकी है। इस संदर्भ में **शेष 6,60,000 रूपये (छह लाख साठ हजार रूपये)** की राशि ग्राम संगठन हेतु उपलब्ध करवायी जा सकती है अगर समूह पंचसूत्रा का पालन कर रही हो।

(च) **संदर्भ 6:** ***ग्राम संगठन पुराना है एवं इससे 15 समूह जुड़े हुए हैं। 3 समूह को पहले ही 60,000 रूपये (साठ हजार रूपये) की दर से 1,80,000 रूपये (एक लाख अस्सी हजार रूपये) की राशि परियोजना द्वारा दी गई है। इसके अलावा 2 समूह को 30,000 रूपये (तीस हजार रूपये) की दर से 60,000 रूपये (साठ हजार रूपये) की राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में उपलब्ध करवायी गयी है।*** *साथ ही उपर्युक्त वर्णित 2 समूहों में 10,000 रूपये* ***(दस हजार रूपये)*** *की दर से आरंभिक पूंजीकरण निधि की अतिरिक्त राशि 2 समूहों के लिए 20,000 रूपये* ***(बीस हजार रूपये) उपलब्ध करवायी गयी है:***

ऐसी परिस्थिति में अभी तक कुल **2,60,000 रूपये (1,80,000 रू0 + 60,000 रू0 + 20,000 रू0)** की राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि (Initial Capitalization Fund) के रुप में निवेश की जा चुकी है। इस संदर्भ में **शेष 6,60,000 रूपये (छह लाख साठ हजार रूपये)** की राशि ग्राम संगठन हेतु उपलब्ध करवायी जा सकती है, अगर समूह पंचसूत्रा का पालन कर रही हो।

(ii) परियोजना द्वारा आरंभिक पूंजीकरण निधि– द्वितीय किश्त (ICF-Initial Capitalization Fund-2nd Installment) देने हेतु ग्राम संगठन स्तर पर मापदंड निम्नलिखित है :–

1. ग्राम संगठन द्वारा प्राप्त विभिन्न निधियों (आरंभिक पूंजीकरण निधि की प्रथम किश्त, खाद्य सुरक्षा निधि एवं SHAN Fund इत्यादि) का संचालन सुचारू रूप से चल रहा हो तथा इसकी वापसी प्रतिशत कम से कम 80% हो।
2. ग्राम संगठन द्वारा किये गये खर्चों का विवरण **मासिक वित्तीय विवरणी** के रूप में परियोजना की प्रखंड इकाई को प्रेषित की जा रही हो एवं **इसका अद्यतन संधारण MIS System पर कर लिया गया हो।** आरंभिक पूंजीकरण निधि की द्वितीय किश्त की राशि निर्गत करते

समय यह सुनिश्चित करना जरूरी **होगा कि संबंधित ग्राम संगठन के द्वारा पिछले माह तक का वित्तीय ब्यौरा उपलब्ध करवा दिया गया है।**

3. मासिक प्रतिवेदन के आधार पर समूहों का आकलन अर्थात् Grading सुनिश्चित कर ली गयी है।

वर्तमान में तय निर्धारित अवधि के उपरांत यह जरूरी होगा कि ग्राम संगठनों का अंकेक्षण (Audit) निरंतर सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु ग्राम संगठनों को प्रशिक्षित कर बुनियादी जानकारी देनी जरूरी होगी। उत्तरोत्तर समयावधि के उपरांत ग्राम संगठन के द्वारा यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि उनका अंकेक्षण (Audit) पूर्ण हो गया हो एवं उनके द्वारा उस Audit का compliance भी सुनिश्चित किया गया है। इससे ग्राम संगठन स्तर पर गुणवता एवं पारदर्शिता का समागम होगा तथा सामुदायिक संगठनों पर विश्वास में बढ़ोत्तरी होगी।

आरंभिक पूंजीकरण निधि की द्वितीय किश्त के रुप में अधिकतम 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) की राशि परियोजना द्वारा निर्गत की जा सकती है।

ग) <u>जीविका परियोजना द्वारा संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम से आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने हेतु निवेशः</u>

जीविका परियोजना द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संकुल स्तरीय संगठन बनने के उपरांत उनके माध्यम से भी आरंभिक पूंजीकरण निधि का संचालन सदस्यों की आजीविका संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु किया जाएगा। जीविका परियोजना द्वारा संकुल संघ को माध्यम बनाते हुए **10,00,000 रूपये (दस लाख रूपये)** का निवेश किया जाएगा। यह अपेक्षित है कि इस प्रक्रिया से संकुल स्तरीय संगठन की क्रियाशीलता बढ़ेगी तथा संकुल संघ को विभिन्न सामाजिक एवं वित्तीय मुद्दों पर निर्णय लेने में सहुलियत होगी।

जीविका परियोजना द्वारा आंरभिक पूंजीकरण निधि (Initial Capitalization Fund) देने हेतु संकुल स्तरीय संगठन पर निम्नलिखित मापदंड हैं:

1. संकुल संघ कम से कम 3 माह पुराना होना चाहिए। इस दौरान संगठन की कम से कम 3 बैठकें पूरी होनी चाहिए। **यह अतिमहत्वपूर्ण है कि संकुल संघ का profile MIS में दर्ज कर लिया गया हो।** इस मापदंड की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
2. संकुल संघ का बचत खाता बैंक में खुला होना चाहिए।
3. संकुल संघ की कार्यकारिणी समिति का गठन हो चुका हो। इसके साथ ही संगठन को नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रतिनिधियों का चयन हो गया हो। साथ ही **सदस्यों एवं प्रतिनिधियों**

को प्राप्त निधि के संचालन एवं प्रबंधन पर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया गया हो।

4. संकुल संघ की निर्धारित उप समितियों का गठन हो गया हो। संकुल संघ के अंतर्गत गठित उप समितियॉ हैः सामाजिक ऑडिट (अंकेक्षण) समिति, बैंक लिंकेज समिति, ऋण वापसी समिति, सोशल एक्शन (सामाजिक कार्य) समिति, खाद्य सुरक्षा समिति इत्यादि।

5. संकुल संघ के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण परियोजना द्वारा तय माड्यूल पर हो गया हो। ये माड्यूल हैंः

   (क) संकुल संघ की अवधारणा, महत्व एवं नियमावली ।

   (ख) बैठक की प्रक्रिया, एजेंडा एवं लेखा का महत्व ।

   (ग) उप समितियों का गठन एवं उनकी भूमिका।

6. संकुल संघ के लेखा संधारण हेतु मास्टर बुक कीपर (Master Book-keeper) का चयन हो गया हो। चयन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संबंधित बुक कीपर का संकुल संघ की लेखा संधारण हेतु प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका हो। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि संकुल संघ से संबंधित लेखा संधारण हेतु Books of Records की उपलब्धता अनिवार्य है।

7. संकुल संघ स्तर पर लेखा संधारण हेतु मास्टर बुक कीपर या संबंधित सामुदायिक संगठक/क्षेत्रीय समन्वयक का प्रशिक्षण पूर्णतः अनिवार्य है। यह अतिमहत्वपूर्ण मापदंड है और इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

8. खाता–बही का लेखांकन सही–सही तरीके से होना चाहिए। कम से कम प्राप्ति एवं भुगतान विपत्र के साथ–साथ कैश बुक का लिखा जाना अनिवार्य है। कालांतर में समस्त लेखा–पुस्तिकाओं का संधारण अनिवार्य है।

9. संकुल संघ पंचसूत्रा का पालन करने वाला होना चाहिए।

10. संकुल संघ स्तर पर उपस्थिति कम से कम 80% हो।

वर्तमान में तय निर्धारित अवधि के उपरांत यह जरूरी होगा कि संकुल संघों का अंकेक्षण (Audit) निरंतर सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु संकुल संघों को प्रशिक्षित कर के बुनियादी जानकारी देनी जरूरी होगी। उत्तरोत्तर समयावधि के उपरांत संकुल संघ के द्वारा यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि उनका अंकेक्षण (Audit) पूर्ण हो गया हो एवं उनके द्वारा उस Audit का compliance भी सुनिश्चित किया गया है। इससे संकुल संघ स्तर पर गुणवता एवं पारदर्शिता का समागम होगा तथा सामुदायिक संगठनों पर विश्वास में बढ़ोत्तरी होगी।

"अनुलग्नक–II"

परिक्रमी निधि (RF) और आरंभिक पूंजीकरण निधि के प्रथम एवं द्वितीय किश्त हेतु निर्धारित प्रावधानों का सार निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त रूप में वर्णित हैं:

कम संख्या	सामुदायिक निवेश निधि का स्वरुप	आवश्यक मापदंड पूरी होने पर दी जाने वाली राशि	सामुदायिक स्तर जिनको यह राशि निर्गत की जा सकती है	संबंधित बजट शीर्ष जिसमें निर्गत राशि का समायोजन होगा	सामुदायिक निवेश निधि के स्वरुप में राशि निर्गत करने हेतु मापदंड
1	परिक्रमी निधि **(Revolving Fund)**	0–15,000 रु0	स्वयं सहायता समूह	1. BTDP/NRLM क्षेत्र के अंतर्गत दी जाने वाली राशि का समायोजन संबंधित परियोजना (BTDP/NRLM) के अंतर्गत होगा। 2. NRETP क्षेत्र के अंतर्गत दी जाने वाली राशि का समायोजन NRLM के बजट शीर्ष के अंतर्गत होगा।	1. स्वयं सहायता समूह कम से कम दो माह पुराना होना चाहिए। 2. समूह का बचत खाता बैंक में खुला होना चाहिए। 3. समूह को पंचसूत्रा का पालन करने वाला होना चाहिए। 4. SHG Profile का MIS में संधारण यानी Entry। 5. समूह का प्रशिक्षण परियोजना द्वारा तय माड्यूल पर हो गया हो। 6. जीविका मित्र (Community Mobilizer) का चयन हो जाना चाहिए। 7. जीविका मित्र का लेन–देन प्रपत्र पर प्रशिक्षण हो गया हो। 8. कार्यवाही पुस्तिका एवं लेन–देन प्रपत्र तो जरुर ही लिखा होना चाहिए। 9. नियमित बैठक में सदस्यों की उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत होनी चाहिए। 10. कम–से–कम 80 प्रतिशत सदस्य नियमित बचत कर रहे हों। 11. समूह के आन्तरिक लेन–देन की शुरूआत अवश्य होनी चाहिए।

क्रम संख्या	सामुदायिक निवेश निधि का स्वरुप	आवश्यक मापदंड पूरी होने पर दी जाने वाली राशि	सामुदायिक स्तर जिनको यह राशि निर्गत की जा सकती है	संबंधित बजट शीर्ष जिसमें निर्गत राशि का समायोजन होगा	सामुदायिक निवेश निधि के स्वरुप में राशि निर्गत करने हेतु मापदंड
2	आरंभिक पूंजीकरण निधि –प्रथम किश्त **(Initial Capitalization Fund-1st Installment)**	0–9,00,000 रु0	ग्राम संगठन	1. BTDP के क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि में **7,80,000 रू0** का समायोजन **NRLM** के बजट शीर्ष के अंतर्गत होगा तथा **1,20,000 रू0** की राशि का समायोजन **BTDP के बजट** शीर्ष के अंतर्गत होगा। 2. NRLM के क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि का समस्त समायोजन NRLM के बजट शीर्ष के अंतर्गत होगा। 3. NRETP के क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि का समस्त समायोजन NRLM के अंतर्गत होगा। 4. संबंधित वर्णित राशि का निर्धारण **"अनुलग्नक–I"** के पारा **'ख'** में वर्णित प्रक्रिया के तहत होगा।	1. ग्राम संगठन कम से कम 2 माह पुराना होना चाहिए। 2. ग्राम संगठन का profile MIS में दर्ज कर लिया गया हो। 3. बचत खाता बैंक में खुला होना चाहिए। 4. ग्राम संगठन की निर्धारित उप समितियों का गठन हो गया हो। 5. ग्राम संगठन के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण तय माड्यूल पर हो गया हो। 6. लेखा संधारण हेतु बुक कीपर (Book keeper) का चयन एवं प्रशिक्षण हो गया हो। 7. प्राप्ति एवं भुगतान विपत्र के साथ–साथ कैश बुक का लिखा जाना अनिवार्य है। 8. ग्राम संगठन पंचसूत्रा का पालन करने वाला होना चाहिए। 9. ग्राम संगठन स्तर पर उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत हो।
3	आरंभिक पूंजीकरण निधि –द्वितीय किश्त **(Initial Capitalization Fund-2nd Installment)**	0–50,000 रु0	ग्राम संगठन	1. BTDP क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि का समायोजन BTDP के अंतर्गत होगा। 2. NRETP अथवा NRLM के क्षेत्र में निर्गत का गयी राशि का समायोजन NRLM के अंतर्गत होगा।	1. ग्राम संगठन द्वारा प्राप्त विभिन्न निधियों (आरंभिक पूंजीकरण निधि की प्रथम किश्त, खाद्य सुरक्षा निधि एवं SHAN Fund इत्यादि) का संचालन सुचारू रूप से चल रहा हो तथा इसकी वापसी प्रतिशत कम से कम 80 प्रतिशत हो। 2. ग्राम संगठन द्वारा किये गये खर्चों का विवरण मासिक वित्तीय विवरणी के रूप में प्रखंड इकाई को प्रेषित हो एवं इसका अद्यतन संधारण MIS System पर कर लिया गया हो। 3. ग्राम संगठन के द्वारा पिछले माह तक का वित्तीय ब्यौरा उपलब्ध करवा दिया गया है। 4. मासिक प्रतिवेदन के आधार पर समूहों का आकलन अर्थात् Grading सुनिश्चित कर ली गयी हो।

क्रम संख्या	सामुदायिक निवेश निधि का स्वरुप	आवश्यक मापदंड पूरी होने पर दी जाने वाली राशि	सामुदायिक स्तर जिनको यह राशि निर्गत की जा सकती है	संबंधित बजट शीर्ष जिसमें निर्गत राशि का समायोजन होगा	सामुदायिक निवेश निधि के स्वरुप में राशि निर्गत करने हेतु मापदंड
4	आरंभिक पूंजीकरण निधि	0–10,00,000 रु0	संकुल स्तरीय संगठन	1. BTDP क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि का समायोजन BTDP के अंतर्गत होगा। 2. NRETP अथवा NRLM के क्षेत्र में निर्गत की गयी राशि का समायोजन NRLM के अंतर्गत होगा।	1. संकुल संघ कम से कम 3 माह पुराना होना चाहिए। **संकुल संघ का profile MIS में दर्ज कर लिया गया हो।** 2.संकुल संघ का बचत खाता बैंक में खुला होना चाहिए। 3. संकुल संघ की निर्धारित उप समितियों का गठन हो गया हो। 4. संकुल संघ के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण परियोजना द्वारा तय माड्यूल पर हो गया हो। 5. संकुल संघ के लेखा संधारण हेतु मास्टर बुक कीपर (Master Book-keeper) का चयन एवं प्रशिक्षण हो गया हो। 6. संकुल संघ पंचसूत्रा का पालन करने वाला होना चाहिए। 7. संकुल संघ स्तर पर उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत हो।

JEEViKA
Rural Development Department, Government of Bihar
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlps.in

पत्रांक : BRLPS/Proj-FI/497/14/Vol-VI/839 Date : 05.07.2021

<u>शुद्धि–पत्र</u>

जीविका परियोजना द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj-FI/497/14/Vol-VI/810, दिनांक – 05.07.2021 का अवलोकन करें। यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित कार्यालय आदेश के अंतर्गत **"अनुलग्नक–I"** में वर्णित **'कम – ख - आरंभिक पूंजीकरण निधि – प्रथम एवं द्वितीय किश्त** (ICF-Initial Capitalization Fund-1st & 2nd Installment) के **'च Point – संदर्भ 6'** को परिवर्तित करते हुए निम्नलिखित रूप में उदाहरण को परिभाषित किया गया है–

(च) **संदर्भ 6**: ***ग्राम संगठन पुराना है एवं इससे 15 समूह जुड़े हुए हैं। 3 समूह को पहले ही 60,000 रूपये (साठ हजार रूपये) की दर से 1,80,000 रूपये (एक लाख अस्सी हजार रूपये) की राशि परियोजना द्वारा दी गई है। इसके अलावा 2 समूह को 30,000 रूपये (तीस हजार रूपये) की दर से 60,000 रूपये (साठ हजार रूपये) की राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में उपलब्ध करवायी गयी है।*** *साथ ही उपर्युक्त वर्णित* ***2 समूहों में 10,000 रूपये (दस हजार रूपये)*** *की दर से आरंभिक पूंजीकरण निधि की अतिरिक्त राशि 2 समूहों के लिए 20,000 रूपये* ***(बीस हजार रूपये) उपलब्ध करवायी गयी है:***

ऐसी परिस्थिति में अभी तक कुल **2,60,000 रूपये (1,80,000 रू0 + 60,000 रू0 + 20,000 रू0)** की राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि (Initial Capitalization Fund) के रुप में निवेश की जा चुकी है। इस संदर्भ में **शेष 6,40,000 रूपये (छह लाख चालीस हजार रूपये)** की राशि ग्राम संगठन हेतु उपलब्ध करवायी जा सकती है, अगर समूह पंचसूत्रा का पालन कर रही हो।

पूर्व के स्थान पर उपर्युक्त वर्णित उदाहरण ही मान्य होगा। यह निदेशित है कि **संदर्भित शुद्धि–पत्र कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj-FI/497/14/Vol-VI/810, दिनांक – 05.07.2021 का ही अंग होगा। अतः सभी जिला परियोजना प्रबंधक को निदेशित है कि शुद्धि–पत्र के साथ ही कार्यालय आदेश को अग्रसारित करें।**

जिला परियोजना प्रबंधक कार्यालय आदेश (शुद्धि–पत्र के साथ) को सभी परियोजना कर्मियों तक सुलभ रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि सामुदायिक संगठनों तक सामुदायिक निवेश निधि की राशि ससमय उपलब्ध हो सके।

05/07/2021

बालामुरुगन डी0
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका

प्रतिलिपि:

1. **समस्त जीविका परियोजनाकर्मी**